विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-48/17

श्री गोपीकिशन, पुत्र श्री बट्टूलाल मालवीय, — आवेदक
ग्राम खेड़ा, तह. इटारसी,
जिला – होशंगाबाद (म.प्र.) ।

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक (सं./सं) संभाग, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इटारसी (म.प्र.) ।

आदेश

(दिनांक 08.03.2018 को पारित)

01. श्री गोपीकिशन, पुत्र श्री बट्टूलाल मालवीय, इटारसी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के प्रकरण क्रमांक बी.टी. 16/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 29.01.2018 प्रस्तुत किया गया है।

02. विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–48/17 में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03. दिनांक 15.02.2018 को सुनवाई हेतु उभयपक्षों को बुलाया गया । आवेदक की ओर से श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपनी लिखित बहस में प्रस्तुत बिन्दुओं पर बहस की एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत प्रस्तुत किए जिसमें कि ऐसे प्रकरण में सिर्फ एक वर्ष तक ही बिलिंग किए जाने का निर्णय दिया गया ।

04. अनावेदक द्वारा भी अपने पक्ष में लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार स्केप्ड बिलिंग (Escaped) के विरूद्ध दिए गए अतिरिक्त बिल को वसूली योग्य बताया गया है । चूंकि यह प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन 126/135 के विरूद्ध नहीं बनाया गया है, अतः एक वर्ष से अधिक की बिलिंग नहीं किए जाने का प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। उभयपक्षों के सुनवाई के दौरान की गई बहस को सुनने के पश्चात् प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया ।

05. आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि –

(i) आवेदक का एक इण्डस्ट्रियल कनेक्शन ग्राम खेड़ा, तहसील इटारसी में है, जिसका स्वीकृत भार 30 एच.पी. है ।

(ii) आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में सही मीटर लगाने की जवाबदारी अनावेदक की है, परन्तु अनावेदक द्वारा मीटर स्थापित करने से पूर्व उसका परीक्षण विद्युत सप्लाई कोड 2013 की धारा 8.14 के तहत नहीं कराया गया ।

(iii) अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर में लगे मीटर में दिनांक 16.06.2014 से आर फेज पर वोल्टेज नहीं प्राप्त होने पर 16.06.2014 से 18.11.2016 तक की अवधि में एक फेज पर वोल्टेज न मिलने के कारण अतिरिक्त बिल रू0 81.876/– का दिया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख चैलेंज करने के लिए 16380/– रू0 जमा कर दिए गए थे तथा शेष 65.486/– जमा करने की मांग अनावेदक द्वारा की जा रही है, जबकि उनके द्वारा इस अवधि में अनावेदक द्वारा दिए गए मासिक विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहा है ।

(iv) आवेदक द्वारा बताया गया कि मीटर खराबी के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं इलाहबाद ने केवल 6 महीनें अथवा 12 महीनें की अवधि हेतु बिल संशोधित करने के आदेश जारी किए हैं । तद्नुसार अनावेदक 16.06.2014 से 18.11.2016 अर्थात् 31 माह का बिल लेने का हकदार नहीं है, अतः अनावेदक द्वारा दिए गए पूरक बिल निरस्त करने योग्य हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के द्वारा निर्णय के अनुसार केवल 12 माह की अवधि के लिए ही पूरक बिल वसूल करने हेतु आदेश देने हेतु अनुरोध किया है ।

06. अनावेदक द्वारा अपने पक्ष में निम्न जानकारी प्रस्तुत करते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया :–

(i) आवेदक के यहां मीटर क्रमांक एमई 28044 दिनांक 04.07.2013 को स्थापित किया गया था । (OE-1) जिसमें कि प्रारंभिक रीडिंग 13269 थी । अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि यह मीटर मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के कण्डिका 8.14 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के प्रावधान के अनुसार ही था ।

(ii) दिनांक 22.10.2016 में आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर के परीक्षण के समय निरीक्षण दल को आर फेज पर जीरो वोल्टेज मिला, जिसका कारण था कि मीटर की आर फेज की पीटी का वॉयर अन्दर से निकल गया था, जिसके कारण मीटर द्वारा केवल वाय एव ंवी फेज पर ही मीटर द्वारा खपत दर्ज की जा रही थी (OE-2) । दिनांक 18.11.2016 को मीटर की आर फेज की पीटी के वॉयर बदलकर मीटर के तीनों फेज चालू कर दिए गए । अनावेदक द्वारा बताया गया कि मीटर द्वारा कब से आर फेज पर खपत नहीं दर्ज कर रहा है कि पुष्टि हेतु मीटर की एमआरआई की गई (OE-3), जिसमें

यह पाया गया कि दिनांक 16.06.2014 को आर फेज मिसिंग पोटेंशियल (RPTF) टैम्पर्ड इनडीकेशन दर्ज हुआ उस समय मीटर में 26649 मीटर रीडिंग थी तथा दिनांक 18.11.2016 को आर फेज की रीडिंग वायर बदलकर मिसिंग पोटेंशियल (RPTF) को रीस्टोर्ड (Restored) कर दिया गया, उस समय मीटर में 50,920 यूनिट खपत दर्ज थी ।

(iii) अतः 16.06.2014 से 18.11.2016 की अवधि में मीटर द्वारा दर्ज कुल खपत 24271 में वन फेज की खपत (24,271 / 2 = 12135) यूनिट का बिल 81,876 रू0 आवेदक को दिया गया है जो कि वसूल किए जाने योग्य है ।

07. **उभयपक्षों के कथन एवं लिखित बहस के आधार पर निम्न तथ्य सामने आते हैं :–**

(i) आवेदक का विवादित मीटर दिनांक 04.07.2013 को 13269 यूनिट पर लगाया गया था । उपरोक्त मीटर स्थापित करने की तिथि 04.07.2013 से 14.06.2016 तक लगातार औसत यूनिट 2268 यूनिट खपत दर्ज करता रहा, परन्तु जून 2014 से 22.10.2016 की अवधि में मीटर द्वारा औसत खपत 1261 यूनिट दर्ज की गई । दिनांक 18.11.2016 को वाय फेज की पीटी के तार ठीक करने के पश्चात् मीटर द्वारा पुनः मासिक औसत खपत 2477 यूनिट दर्ज की गई (OE-4) ।

(ii) अनावेदक द्वारा उच्चतम न्यायालय ने जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है वह उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका 14347 / 2012 के विरूद्ध दिया गया है, जिसमें कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रकरण 126 जिसकी अपील 127 में की जाने पर खारिज की गई थी, के संबंध में दिया है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि *''यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग हुआ है तो उस पूरी अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, निर्धारण किया जाएगा तथा यदि, तथापि अवधि जिसके दौरान ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है पता नहीं लगाई जा सकती, ऐसी अवधि, निरीक्षण के दिनांक से तुरन्त पूर्वगामी बारह मास की अवधि तक सीमित होगी ।*

(iii) अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको दृष्टिगत रखते हुए एक वर्ष की अवधि हेतु बिलिंग किए जाने हेतु निर्णय आदेश जारी किया गया, परन्तु इस प्रकरण में एक फेज पर वोल्टेज नहीं होने के कारण कम की गई बिलिंग के विरूद्ध पूरक बिल दिया गया है तथा एमआरआई द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि 16.06.2016 से ही मीटर में कम खपत दर्ज हो रही है, अतः जिस तारीख से खपत कम दर्ज हो रही है वह आरआरआई निश्चित हो गई है अतः 16.06.2014 से 18.11.2016 तक दर्ज कम खपत का पूरक बिल स्केप्ड बिलिंग होने के कारण दिया गया जो कि नियमानुसार सही एवं वसूली योग्य है ।

(iv) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.15 का भी अवलोकन करने पर यह पाया गया कि सिंगल फेज एवं थ्री फेज मीटर का परीक्षण 5 वर्ष में एक बार किया जाना अनिवार्य है । इसी प्रकरण में चूंकि मीटर 04.07.2013 को स्थापित किया गया था एवं उसका परीक्षण 22.10.2016 को किया गया जिसमें कि पाया गया कि आर फेज पर वोल्टेज नहीं होने से मीटर द्वारा वास्तविक खपत से कम खपत दर्ज की जा रही है ।

(v) मीटर में आंतरिक त्रुटि आ जाने के कारण एक फेज पर कम खपत दर्ज हुई है, जबकि आवेदक द्वारा इस अवधि में मीटर द्वारा दर्ज खपत से अधिक विद्युत का उपयोग किया है इसलिए अनावेदक द्वारा दिया गया पूरक बिल रू0 81,876/– नियमानुसार है, अतः विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के आदेश को यथावत् रखा जाता है ।

परन्तु नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि चूंकि आवेदक द्वारा 16.06.2014 से 18.11.2016 की अवधि में दिए गए अनावेदक द्वारा मासिक देयक का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा वह इस तथ्य से वाकिफ नहीं था कि उनके मीटर द्वारा एक फेज पर कम खपत दर्ज की जा रही है, अतः उन्हें यह सहूलियत प्रदान की जा सकती है कि इस मद में बची शेष राशि का भुगतान 24 मासिक किस्तों में प्राप्त की जाए ।

अतः आदेशित किया जाता है कि :–

(i) अनावेदक आवेदक से शेष राशि रू0 65,496/– का भुगतान 24 मासिक किस्तों में नियमित मासिक विद्युत देयकों के साथ लेगा ।

(ii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

(iii) आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो ।

(iv) आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल